(43)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1040–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–4–2015 पारित द्वारा तहसीलदार, नेपानगर जिला बुरहानपुर प्रकरण कमांक 10/अ–13/2013–14.

अखिलेश पिता बसंतकुमार साहू
निवासी ग्राम खकनार कला
तहसील खकनार जिला बुरहानपुर .....आवेदक

विरूद्ध

कमलाबाई पति भास्कर
निवासी खकनार कला
तहसील खकनार जिला बुरहानपुर .....अनावेदिका

श्री लखनसिंह धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0बी0 महाजन, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, नेपानगर जिला बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–4–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार, नेपानगर जिला बुरहानपुर के समक्ष संहिता की धारा 131 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका सहित अन्य भूमिस्वामियों को उनकी भूमि पर जाने के लिए परम्परागत रास्ता आवेदक द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया

जाये । साथ ही अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने हेतु संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 10/अ–13/2013–14 दर्ज कर दिनांक 29–4–2015 को अंतरिम आदेश पारित किया जाकर आवेदक को तत्काल प्रश्नाधीन रास्ते से अवरूद्ध हटाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदक की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किये बिना ही अंतरिम आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि अनावेदिका सहित अन्य के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, इसके बावजूद भी आवेदक की भूमि से रास्ता दिये जाने में तहसीलदार द्वारा अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में आई साक्ष्य से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन रास्ता परम्परागत रास्त नहीं है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया गया है, और प्रश्नाधीन रास्ता रूढ़िगत होना एवं उसे आवेदक द्वारा अवरूद्ध किया जाना पाते हुए रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अभी अंतरिम आदेश पारित किया गया है, और प्रकरण का अंतिम निराकरण होना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है ।

तर्कों के समर्थन में 1992 आर0एन0 222 एवं 1996 आर0एन0 10 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर अन्तरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इसके अतिरिक्त चूंकि तहसीलदार को अभी प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है, अतः

तहसीलदार का अंतरिम आदेश स्थिर रखते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि वे दो माह में प्रकरण का अंतिम निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर